Response of District Magistrate, Agra in compliance of order dated 20.09.2022 in the matter of O.A No. 316 of 2022Dr. Sharad Gupta Vs State of UP.

In the aforesaid matter, grievance made by Dr. Sharad Gupta resident of 24, Heera Bagh Colony, Dayal Bagh, Agra are that as per News Article published in Times of India dated 06.03.2022 the ravines are being destroyed by large scale mining in the vicinity of Taj Mahal and restricted flood plan zone of river Yamuna. Destruction of the forest ravines, which are natural habitat for over 1000 species of animals and plants, will lead to devastation of the ecological chain as well as harm the Taj Mahal. It would also affect original land scape and contour in the vicinity of Taj Mahal and restricted flood plain zone of river Yamuna in Agra, Uttar Pradesh.

Hon'ble National Green Tribunal heard the matter on dated 09.05.2022 and pleased to pass order in the O.A no.316/2022 Dr. Sharad Gupta Vs State of Uttar Pradesh.

In compliance of the orderJoint Committee was formed having member of Ministry of Jal Shakti, Government of India, Regional Office of MoEF & CC, Lucknow, TTZ Authority, District Administration and State PCB as a Nodal Agency for coordination and compliance.

The Joint Committeesubmitted the report on dt.19.09.2022 and on the basis of Joint Committee report, Hon'ble National Green Tribunal heard the matter on dt.20.09.2022 and pleased to pass the order. The operating part of the order is quoted as below:-

" In view of the averments made in the application and observations made in the report of the Joint Committee, we consider it appropriate to seek response from (1) State of Uttar Pradesh through Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh, (2) Ministry of Jal Shakti, Government of India (3) Regional Office of MoEF & CC, Lucknow, (4) Chairman of Taj Trapezium Zone (5) Director, Mining and Geology, State of Uttar Pradesh, (6) Commissioner, Municipal Corporation, Agra (7) State PCB and (8) District Magistrate, Agra who stand impleaded as respondents No. 1 to 8 and accordingly direct issuance of notices along with copies of the application and report of the Joint Committee to them by E-mail requiring them to file their response/reply to the allegations made in the application and observations/recommendations made in the report of the Joint Committee within two months by judicial-ngt@gov.inpreferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF. The registry is also directed to prepare and attach memo of parties with the paper book accordingly."

As per the direction of Hon'ble National Green Tribunal the application and report of the Joint Committee has been reviewed and it has been observed that as per

the letter no-560/22-20 dated 02.08.2022ofDivisional Forest Officer, AgraTaj Forest block is a rugged forest area under Agra Forest division in which forest department have only constructed earthen check dams to prevent soil erosion and to maintain soil moisture. The construction of earthencheck dams has been made by local soil of the area for which work plan made has been approved by Ministry of Environment Forest & Climate Change, Government of India **(Annexure-1).**

Work rate has been approved by Conservator Forest, Agra circle, Agra vide letter no. 274/5-9-2 dated 15.07.2020 for regarding forest work**(Annexure-2).**

In the page no-8 of the Joint Committee Report it has been observed that the Committee suggested that TTZ's ravine restoration is among the best examples of ravine restoration for Bio-diversity protection which is being used by various mammals, birds and butterfly species. Although no reptile species were observed during the survey, except burrows which may potentially indicate the presence of reptiles. Earthen check dams were built to reduce the runoff in the area and the construction of Earthen check dams has created a negligible disturbance to the wild life of the area.

As per the instructions givenby the Hon'ble Court during the hearing in O.A No-316/2022 on dated 20.09.2022, drone Videography and Photography was conducted byU.P Pollution Control Board on dt.15.11.2022. At the time of drone Videography Senior Mines Officer, Agra and officials of forest department were also present. Photographs of the Taj forest block are as below: -

Photo-1

Photo-2

Photo-3

Photo-4

Photo-5

Photo-6

Photo-7

Photo-8

Photo-9

Photo-10

Photo-11

Photo-12

In the photographsof Taj Forest Block(Sl. No 1 to 12)no mining activity has been observed in the vicinity of Taj Mahal. The Videography of the said area is being annexed with the response.

It is pertinent to mention that there are no prescribed guidelines for mining activity within Taj Trapezium Zone other than Uttar Pradesh Minor Minerals (Concession) Rules, 2021. In the Taj Forest Block, forest department make earthencheck dams after the approval of their work plan from MoEF CC, GOI **(Annexure-3)**.Senior Mine officer also informed vide its letter dt.10.08.2022 that as per the provisions of Uttar Pradesh Minor Minerals (Concession) Rules, 2021 mining operation permission is only given by the concerned District Magistrate outside the forest area**(Annexure-4)**

In view of the averments made in the application and observations made in the Joint Committee Report response of the undersigned is being filed for kind perusal and necessary action.

4/9/22

District Magistrate

Annexure-I, 3

सामाजिक वानिकी वन प्रभाग,आगरा

की

प्रबंध योजना

(2014–15 से 2023–24 तक)

भाग 1 व 2

शैलेश प्रसाद, भा.व.से.
मुख्य वन संरक्षक (कार्य योजना) उ0 प्र0
के निर्देशन में

सुनील चौधरी, भा.व.से.
वन संरक्षक
कार्य योजना अधिकारी, आगरा
द्वारा संकलित

Page – 123, 144

3.23 पातन चक्र : वार्षिक पातन चक्र निर्धारित किया गया है। केवल सूखे, उखड़े, गिरे व रूग्ण वृक्षों को ही निकाला जायेगा। सस्य की सघनता की स्थिति में आवश्यकतानुसार बबूल व प्रासोपिस ज्यूलीफ्लोरा में थीनिंग व प्रुनिंग का कार्य किया जायेगा। बबूल में यह कार्य दूसरे, पांचवें, दसवें, पंद्रवें, तथा बीसवें वर्ष की आयु पर तथा प्रोसोपिस ज्यूलीफ्लोरा में रोपण के तीसरे वर्ष तथा उसके उपरांत प्रत्येक दो वर्ष बाद थीनिंग कार्य किया जायेगा।

3.24 क्षेत्र की सफाई : प्रोसोपिस की झाड़िया स्ट्रिप में या रोपण की आवश्यकानुसार हटाई जायेगी।

1. सूखे वृक्ष को काटने से प्राप्त झापामुण्डी की सफाई आदि हर हालत में पूर्ण कर लिए जाय।
2. सूखे वृक्षों के काटने के पश्चात क्षेत्र में किसी प्रकार की सूखी व ज्वलनशील लकड़ी मौजूद नही रहनी चाहिए।
3. सूखे वृक्षों को काटने के पश्चात उपलब्ध रिक्त स्थान पर उसी वर्ष वृक्षारोपण करने के प्रयास किये जाये, जिससे क्षेत्र में गैप्स कम से कम रहें।

3.25 रोपण कार्य : अधिकांश बीहड़ क्षेत्रों के वन खण्डों में ऐसे क्षेत्र उपलब्ध है, जहां सस्य का घनत्व बहुत कम है अर्थात घनत्व 0.3 से कम है तथा क्षेत्र रिक्त है। ऐसे क्षेत्रों में उपयुक्त प्रजातियों का रोपण किया जायेगा,ताकि इनकी उत्पादकता में सुधार आये। प्रजातियों का चयन, भूमि के प्रकार एवं उनकी उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए किया जाये।

3.26 वार्षिक रोपण कूप : प्रभाग के अर्न्तगत रोपण योग्य क्षेत्रों की वार्षिक कूप अध्याय 10 में दी गई है।

3.27 वार्षिक लक्ष्य : भू–क्षरण से प्रभावित स्थलों को स्थिरता प्रदान करने व मृदा क्षरण को कम करने हेतु विविध रूप से उपचार अत्यन्त आवश्यक है। 50 हे. वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किया जाता है।

3.28 बीहड़ क्षेत्रों का उपचार : बीहड़ क्षेत्रों को उपचारित (Rehabilitate) करने तथा इनके फैलाव को रोकने के लिए अनेक तकनीकें विकसित हुई है, इनमें से वृक्षारोपण सबसे अधिक उपयोगी व व्यवहारिक सिद्ध हुई है। विभिन्न विकसित तकनीकों का संक्षिप्त विवरण दिया जा रहा है।

3.29 बीहड़ क्षेत्र में वृक्षारोपण की तकनीक : बीहड़ क्षेत्र में वृक्षारोपण के लिए मृदा कार्य प्रारंभ करने के समय पर निम्नलिखित दशा पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

1. मिट्टी के बहाव पर पूर्णतया रोक।
2. बीहड़ के और बढ़ाव पर पूर्णतया रोक।
3. भू–क्षरित भूमि का सुधार।

बीहड़ क्षेत्रों में सिंचाई की व्यवस्था नहीं होती, एवं वर्षा के पानीं पर ही पूरा वृक्षारोपण निर्भर करता है। अतः अग्रिम मृदा कार्य करते समय यह बात भी ध्यान में रखी जानी है कि वर्षा की एक–एक बूंद वृक्षारोपण क्षेत्र में उपयोग की जानी है।

3.31 रोपण के निर्देश :

1. **रोपण खाईयां 30° से कम ढ़ाल वाले क्षेत्र में :** बीहड़ क्षेत्र में सामान्य ढाल वाले क्षेत्रों में जहां ढाल 30° कम हो कन्टूर के समानान्तर 3 X 0.60 X 0.45 मी. की 3X3 मी. दूरी पर असम्मूख खाईयां, 5वीं खाई सेप्टा सहित लगातार। खाईयों के नीचे पुनः 60 सेमीं. चौड़ी व 22 सेमी. गहरी मृदा से नीचे की ओर रिज निर्माण कर खाईयों में 2 लाईनों में बीज बुआन किया जायेगा।
2. **अन्य खाईयां चौरस टीलों पर :** चौरस टीलों पर बीहड़ों के उद्‌गम से 2.5 मी. नीचे 60 सेमी. चौड़ी व 45 सेमी. गहरी सेप्टा सहित लगातार समोच्च खाई बनाई जाये।
3. **30° से अधिक ढ़ाल वाले क्षेत्र में :** घास रोपण हेतु 10 सेमी. आधार चौड़ाई, 20 सेमी. उपरी चौड़ाई व 20 सेमी. गहरे फरो, जिसकी मृदा से नीचे की ओर कूट बनायें जायेंगें।

13.32 **घेरवाड़ :** रोपवनों की सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य प्रभावी घेरवाड़ है, जिससे स्थापित होने तक पौधों की सुरक्षा सुनिश्चित होती है।घेरवाड़, सुरक्षा खाईयों, तारवाड़ अथवा जैविक बाड़ द्वारा की जाती है। खाई से खोदी गयी मिट्‌टी रोपावनी की तरफ भली प्रकार कूट के रूप में संवारी जाये और उस पर खैर, बबूल, प्रोसोपिस की जैविक बाड़ उगाई जाये। बीहड़ में बिना खुदी पट्टिका ढाल के अनुसार कम अन्तराल पर छोड़ी जाये।

13.33 **गड्‌डा भरान :** यदि वनीकरण क्षेत्र में गड्‌डे खोदे गये हो तो गड्‌डों की खोदी गयी मिट्‌टी को मई माह के अन्त में पुनः गड्‌डे में भर दिया जाता है। गड्‌डा भरान से पूर्व इस मिट्‌टी से कंकड़, पत्थर व अन्य घास फूंस साफ कर लेनी चाहिए। गड्‌डा भरान के साथ ही प्रति गड्‌डा 5 ग्राम डी.ए.पी. व 5ग्राम कीटनाशक मिट्‌टी में मिलाकर गड्‌डे में भरने चाहिए।

13.34 **बीज बुआन् :** जून माह में रोपण खाईयों की मिट्‌टी में से आधी मिट्‌टी वापस खाईयों में भर दें, जिससे आधी मिट्‌टी रिज पर बनी रहेगी। विभिन्न प्रकार के क्षेत्र व स्थितियों में निम्न प्रकार कार्यवाही की जानी चाहिए।

(अ) रिजों पर सीड बेड तैयार करने हेतु ड्रेसिंग करें। यह कार्य 10 जून तक पूर्ण कर लेना चाहिए। दरेसी/ड्रेसिंग का कार्य अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इसमें खोदी मिट्‌टी के ढेलों को तोड़कर व उसमें पत्थर व कंकड़ को हटाकर इसे समतलीकरण करते हुए उसकी दरेसी करनी चाहिए अन्यथा बीज का अंकुरण प्रभावित होता है। दरेसी के समय प्रति रनिंग मीटर 5–10 ग्राम डी.ए.पी. व 2–5 ग्राम कीटनाशक जैसे–थीमेट भी मिट्‌टी में अच्छी तरह से मिलाना चाहिए।

बीज बुआन करते समय एक पंक्ति रिज के उपर तथा एक पंक्ति रिज व खाई के बीच की रेखा पर बुआन करें। बीज बुआन 5–5 सेमी. की दूरी पर करना चाहिए। यह कार्य 25 जून तक संमाप्त कर लेना चाहिए। बीज बुआन हेतु रोपण क्षेत्रों को चार श्रेणी में बांट सकते है।

1. अच्छी दोमट मिट्‌टी वाले क्षेत्र में 30 प्रतिशत शीशम, 30 प्रतिशत बबूल व 40 प्रतिशत सिरस, नीम, प्रोसोपिस ज्यूलिफ्लोरा, अरूं, आरिकुलेटा, रैउंज, कैरी, छ्योकर आदि का बीज मिश्रण बोना चाहिएं।
2. नालों की तलहटी अथवा उससे लगे हल्के ढालों में शीशम 80 प्रतिशत व 20 प्रतिशत बबूल, कंजी, नीम व अरूं के बीज का मिश्रण बोना चाहिए।
3. खराब मिट्‌टी व जहां मिट्‌टी बह गयी हो और कंकड़ दिख रहे हों ऐसे टीलों व ढालों पर शत–प्रतिशत ज्यूलीफ्लोरा का बीज बोना चाहिए।
4. बंधों पर सिरस, बबूल, शीशम, पापड़ी, बेर, केसया–आरिकुलेटा का बीज मिश्रण बोना चाहिए।

समाजिक वानिकी वन प्रभाग

आगरा

सामाजिक वानिकी बृजभूमि क्षेत्र

आगरा

की

प्रबन्ध योजना

(वर्ष 2004–05 से 2013–14 तक)

सुनील कुमार रस्तोगी

भारतीय [illegible]

[illegible], कार्य योजना वृत्त, उ0 प्र0 के [illegible] में

के0 वी0 लक्ष्मण मूर्ति

भारतीय वन सेवा

उप वन संरक्षक द्वारा संकलित

भाग – 2 तथा परिशिष्ट (भाग)

कार्य योजना वृत्त, उ0 प्र0, लखनऊ

वर्ष – 2005

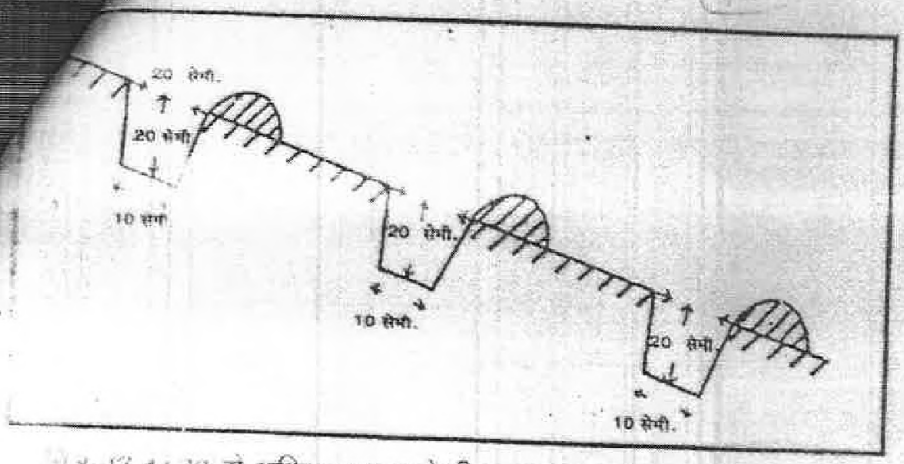

चित्र-17.4 : 30 से अधिक ढाल वाले बीहड़ पर घास हेतु बनायी गयी कूंड

रेतीली मृदा मे 45 सेमी × 45 सेमी. × 45 सेमी. माप के गड्ढे असम्मुख रूप से समोच्च ... खोदे जाय। गड्ढों से गड्ढों की दूरी 2 मी. रखी जाय।

अवरोधक बन्धे (चेकडैम) :-

... नाले काफी कटे-फटे हो व पानी का बहाव भी अपेक्षाकृत तेज होता हो वहाँ गलीबन्द (Gully ... आर्ट (चित्र-17.5)। बन्धे बनाते समय सबसे पहले उन स्थलों का चुनाव किया जाता ... बनाने की आवश्यकता हो। बन्धा हमेशा उस स्थल पर होता है जहाँ पानी के निकास की ... स्थल चयन के बाद जिस स्थल पर बन्धा बनाना हो उस स्थल की गुड़ाई करें। फिर ... जिससे पानी के बहाव के समय बन्ध के नीचे कड़ी मिट्टी पर घास ... के कारण बन्ध का कटाव न हो। जहाँ गली की चौड़ाई 1 मी. से अधिक हो वहाँ ... का निर्माण करें। नालों मे चेकडैम सीरीज़ में बनाने चाहिये। नीचे वाले चेकडैम की चोटी ... चेकडैम की तली के सीध (लेविल) मे रहेगी (चित्र-17.6)। विभिन्न ढालों पर बीहड़ के गली ... स्थल के विशिष्टीकरण का विवरण सारिणी-17.4 में दिया गया है।

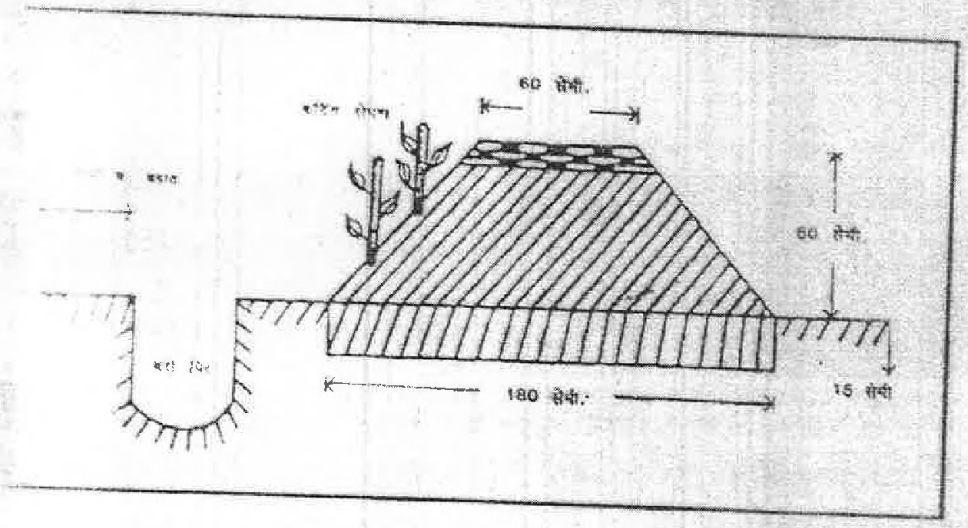

चित्र-17.5 : 60 सेमी. ऊँचे चेक डैम (अवरोधक बन्धे का निर्माण

सारणी-17.4

बीहड़ के गली बन्द (बंधों) हेतु सामग्री तथा स्थल का विशिष्टीकरण

गली बेड का ढाल (प्रतिशत)	गली बेड की चौड़ाई (मीटर में)	स्थल	गली बन्द (बंधे) का प्रकार	दो बंधों [illegible] ऊर्ध्वाधर [illegible] (मीटर में)
1	2	3	4	5
0–5	4.5 तक	गली बेड	ब्रशवुड	3.0 [illegible]
	4.5 से 10.5 तक	गली बेड व पार्श्व शाखा	मिट्टी	[illegible]
	7.5 से 15 तक	दो गली के संगम पर	बालू के बोरे	
	7.5 से 15 तक	संयुक्त गली की शाखाओं के संगम पर	ईंटों का (ब्रिक मेसनरी)	
5–10	4.5 तक	गली बेड	ब्रश वुड	3.0 तक
	4.5 से 6.0 तक	गली बेड व पार्श्व शाखा	मिट्टी	[illegible]

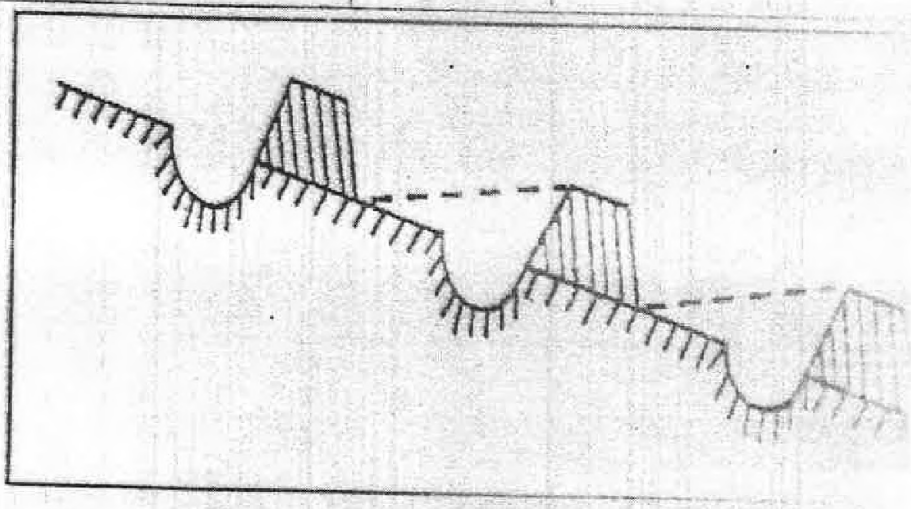

चित्र–17.6 : नाले मे श्रेणी (सीरीज) मे बने हुये चेक [illegible]

उपरोक्त बन्धों में ऊपर की चौड़ाई 60 सेमी. तलों की चौड़ाई [illegible] इस तरह शीर्ष व तल की चौड़ाई मे 1:3 का अनुपात होगा। यह अनुपात आवश्यकतानुसार [illegible] जा सकता है। दोनों किनारों का ढाल एक होगा। बन्धों का निर्माण सदैव [illegible] तथा इन्हें एक के बाद एक श्रेणी (सीरीज) मे बनाया जाय। निचले [illegible]

सामान्य तौर पर एक ही तल पर होनी चाहिए। जहाँ ढाल तेज हो वहाँ बन्धे अधिक ... दो बन्धों के बीच की दूरी सामान्यत: 6 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। बन्धे की ... ई के अनुसार बनेगी व इसे बनाने के लिए केवल ऊपर की ओर से नाले में समतल ... खोदे जिससे मिट्टी खोदने से नाले के किनारे न कटें। इससे बन्धे के ठीक ऊपर की ओर ... ली जगह को जहाँ से मिट्टी ली जानी है बरोपिट कहते हैं। इससे पानी पहले इन्हीं ... बहाव की गति न्यूनतम होने के कारण बन्धा भी नहीं टूटता है।

... को बनाते समय 20–20 सेमी मोटी पर्त की दुरमुट से कुटाई की जाती है, जिससे बन्धे में ... को रोकने की ताकत आ सके।

... को पानी के तेज बहाव से होने वाले मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए ऊपर के ... एक निकास द्वारा बनाया जाता है जिससे वर्षा के समय ज्यादा पानी आने पर निकल ... कर बहने न पाये। यह निकास यदि एक बन्धे में बाईं ओर है तो अगले बन्धे में दाईं ... एक बन्धे से आगे बन्धे में विपरीत कोनों पर होगा। वर्षा के समय बन्धे यदि टूटें फूटें तो ... मरम्मत आवश्यक है, अन्यथा एक बन्धा टूटते ही पूरी सीरिज् के टूटने का भय हो सकता ... ब्रशवुड चेक डैम बनाए जाएँ।

... नालियाः–

... नालियों की चौड़ाई 1 मीटर से कम हो वहाँ उद्गम स्थान से लेकर 1 मीटर चौड़ाई वाले स्थान ... बन्धों का निर्माण करें (चित्र–17.7)।

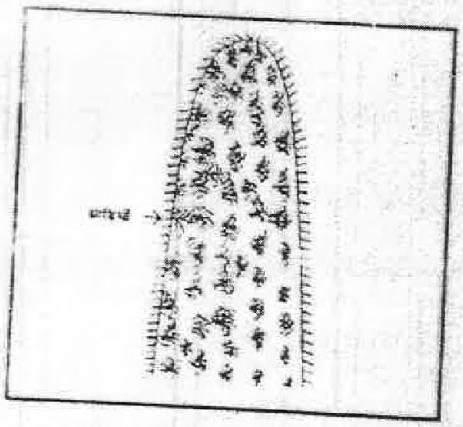

चित्र–17.7 : एक मीटर से कम चौड़ी गली हेतु निरंतर झाड़ी बंधा

... बन्धे गली का मुँह बन्द करने के लिए किसी भी प्रकार की स्थानीय झाड़, झंखाड़ ... पानी के बहाव में अवरोध पैदा करने के लिए बनाए जाते हैं।

झाड़ी रोधी बन्धा (ब्रशवुड चेकडैम):–

अधिक बहाव वाले नालों में एक लाइनों वाले अथवा दो लाइनों वाले झाड़ी रोधी बन्धे बनाये ... इनके निर्माण से पहले नाली के किनारों को बाँध स्थल पर 1:1 के अनुपात में ढाल

५८७

Annexure-2

कार्यालय वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा।

पत्रांक 274 /5-9-2 दिनांक : आगरा 17, जुलाई, 2020

कार्यालय आदेश

आगरा वृत्त, आगरा के अन्तर्गत अधीनस्थ प्रभागों के कराए जाने वाले वानिकी कार्यो हेतु अनुसूचित दरों का मानव दिवस के आधार पर निर्धारण इस कार्यालय के स्थाई आदेश संख्या– 710/5–9–2 (DFO Agra) दिनांक 02 सितम्बर 2016 एवं 2816/5–9–2 दिनांक 18.02.2020 द्वारा किया गया था, जो रू0 174/– (रू0 एक सौ चौहत्तर मात्र) प्रति मानव दिवस एवं डीजल दर रू0 66.31 प्रतिलीटर थी, पर आधारित था। वर्तमान में प्रमुख सचिव श्रम अनुभाग–3 उ0प्र0 शासन के पत्रांक 14/2020/474/36–03–2020–01(अधि0)–2005 लखनऊ दिनांक 08.05.2020 द्वारा श्रमिकों की मजदूरी दर रू0 201.00 प्रति मानव दिवस निर्धारित की गई है तथा वर्तमान में डीजल के मूल्य में हुई काफी वृद्धि के कारण अनुसूचित दरों को पुनरीक्षित किया जाना आवश्यक हो गया है।

इस कार्यालय के पत्रांक 144/14–1 दिनांक 09.07.2020 द्वारा गठित समिति की अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में दिनांक 14.07.2020 को आयोजित बैठक में समिति द्वारा दिए गए संस्तुति प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त वृत्त की पूर्व निर्धारित अनुसूचित दर में वनीकरण एवं पौधशाला कार्यो की उन मदों, जिनमें मानव दिवस, डीजल व सामग्री अंश निर्धारित था, उन मदों को वर्तमान मजदूरी दर रू0 201.00 प्रति मानव दिवस एवं डीजल की दर रू0 72.37 प्रति लीटर के आधार पर संशोधित करने का निर्णय लेते हुए संलग्न अनुसूचित दर में वर्णित दर के अनुसार निर्धारित किया जाता है।

उपरोक्त के क्रम में यह भी निर्देशित किया जाता है कि :–

1. श्रमिकों का भुगतान शासन द्वारा निर्धारित मजदूरी दरों के अनुसार किया जाए।
2. पुनरीक्षित दरें उच्चतम अनुमन्य दरें हैं।
3. प्रभागीय निदेशक मितव्ययता को ध्यान में रखते हुए शासन के मितव्ययता सम्बन्धी निर्देशों का अनुपालन करते हुए उच्च स्तर से प्राप्त भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों की शतप्रतिशत पूर्ति सुनिश्चित करें।
4. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा वानिकी कार्यो हेतु निर्धारित की गई सीलिंग दर में कराये जाने वाले वानिकी कार्यो हेतु यथावत लागू होगी।
5. यह दरें दिनांक 08.05.2020 से प्रभावी मानी जायेंगी।
6. वानिकी कार्यो में जो पूर्व में व्यय हो चुका है वह पुनरीक्षित/संशोधन नहीं किया जाएगा।

(के0 प्रवीण राव)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/
प्रभारी वन संरक्षक,
आगरा वृत्त, आगरा

DFO Agra 23-7-20

पत्रांक 274 /5-9-2 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– प्रमुख वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2– अपर प्रमुख वन संरक्षक, सामाजिक एवं कृषि वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, आगरा जोन, आगरा।
4– आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा।
5– मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6– समस्त क्षेत्रीय/मण्डलीय मुख्य वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7– समस्त वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8– समस्त प्रभागीय निदेशक/वनाधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9– लेखापिक एवं मानचित्रकार, वृत्त कार्यालय आगरा।
10– गार्डबुक।

पत्रांक - 437 /14-1 दिनांक - 24-7-2020
प्रति - समस्त क्षे0 व0अ0 आगरा को अनुपालनार्थ एवं उक्तानुसार कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(के0 प्रवीण राव)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/
प्रभारी वन संरक्षक,
आगरा वृत्त, आगरा

OS/Draftman/letter 2020

ा वृत्त, आगरा के अन्तर्गत वानिकी कार्यो की पुनरीक्षित अनुसचित दरें रू0 201/– प्रतिदिन प्रति श्रमिक एवं डीजल रू0 72.37 प्रति ली0 पर आधारित

क्र0 सं0	कार्य का विवरण	इकाई प्रति	सृजित मानव दिवस एवं डीजल		प्रस्तावित धनराशि			कुल धनराशि	अभ्युक्ति
			मानव दिवस	डीजल (ली0 में)	श्रमिक की धनराशि (रू0 में)	डीजल की धनराशि (ली0 में)	सामग्री की धनराशि (रू0 में)	(रू0 में)	
1	2	3	4	6	6	7	8	9	10
1	सर्वेक्षण (वन ब्लॉक एवं ग्राम समाज क्षेत्र में)	है0 में	0.388	0	77.988	0	0	78.00	
1.1	मृदा परीक्षण	गड्ढा	2.00	0	402	0	48.15	450.15	केवल उस क्षेत्र में मृदा परीक्षण हेतु 1.50X1.50X 1.80 मी0 गहरा गड्ढा खोदना और उसका परीक्षण कराना। प्रति 5 है0 में एक।
2	क्षेत्र की सफाई .								
2.1	ब्लॉक, सड़क, रेल सामान्य	है0	1.00	0	201	0	0	201.00	
	घनी	है0	2.00	0	402	0	0	402.00	
	अधिक घनी	है0	2.86	0	574.86	0	0	574.86	
2.2	नहर व खादर सामान्य	है0	10.00	0	2010	0	0	2010.00	
	घनी	है0	14.8	0	2974.8	0	0	2974.80	
	अधिक घनी	है0	20.41	0	4102.41	0	0	4102.41	
2.3	ग्राम सभाज सामान्य	है0	0.56	0	112.56	0	0	112.56	
	घनी	है0	1.12	0	225.12	0	0	225.12	
	अधिक घनी	है0	1.57	0	315.57	0.	0	315.57	
2.4	ब्रिकगार्ड / ट्रीगार्ड में गड्ढा खुदान (सामान्यतया 0.60मी0X0. 60मी0X0.60मी0 का गड्ढा खोदा जाये।)	गड्ढा	0.086	0	17.286	0	0	17.29	
3	रेखांकन								
3.1	गड्ढ / माउण्ड	प्रति मा0	0.0016	0	0.3216	0	0	0.32	
3.2	वृत्ताकार खाई	प्रति खा	0.002	0	0.402	0	0	0.40	
3.3	नालियां	प्रति ना0	0.0063	0	1.2663	0	0	1.27	
3.4	सुरक्षा खाई	प्रति मी0	0.0026	0	0.5226	0	0	0.52	
4	मिट्टी खुदान								
4.1	सुरक्षा खाई (90X70X60) सें0मी0								
	(अ) ऊसर, चिकनी, कंकडीली मिट्टी	प्रति मी0	0.20	0	40.2	0	0	40.20	
	(ब) बुलई, दोमट, मटियार	प्रति मी0	0.1307	0	26.2707	0	0	26.27	
	(स) मिट्टी / पत्थर / मोरम वाले क्षेत्र 1.20+0.90/2X1.00X1.00 घ0मी0	प्रति मी0	0.397	0	79.797	0	0	79.80	
4.2	सुरक्षा खाई (1.20X1.00X0.90) सें0मी0								
	(अ) ऊसर, चिकनी, कंकडीली मिट्टी	प्रति मी0	0.3678	0	73.9278	0	0	73.93	
	(ब) बुलई, दोमट, मटियार	प्रति मी0	0.293	0	58.893	0	0	58.89	

	कार्य का विवरण	इकाई प्रति	सृजित मानव दिवस एवं डीजल		प्रस्तावित धनराशि			कुल धनराशि	अभ्युक्ति
			मानव दिवस	डीजल (ली0 में)	श्रमिक की धनराशि (रू0 में)	डीजल की धनराशि (ली0 में)	सामग्री की धनराशि (रू0 में)	(रू0 में)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	(स) जे0सी0बी0 द्वारा सुरक्षा खाई खुदान एवं श्रमिकों द्वारा दरेसी खाई (1.00 मी0X(1.20+090)/2मी0X1.00 मी0)	रू0मी0	0.03977	0	7.99	0	56.5	64.50	यह दरें अधिकतम है।
4.3	नाली का खुदान (3.00X0.60X0.45) मी0								
	(अ) ऊसर, चिकनी, कंकडीली मिट्टी	प्र0ना0	0.282	0	56.682	0	0	56.68	
	(ब) बुलई, दोमट, मटियार	प्र0ना0	0.224	0	45.024	0	0	45.02	
	(स) अरावली पर्वत श्रृखला के सन्निकट पठारी वन क्षेत्रों में								
	1– 3.00X0.60X0.45 मीटर	प्रति रिज	0.528	0	106.128	0	0	106.13	
	2– 3.00X0.60X0.30 मीटर	प्रति रिज	0.3505	0	70.4505	0	0	70.45	
	(द) खाई खुदान 1.00X0.60X0.30 मी0	प्र0र0मी0	0.118	0	23.718	0	0	23.72	
4.4	नाली का खुदान (3.00X0.45X0.30) मी0								
	(अ) ऊसर, चिकनी, कंकडीली मिट्टी	प्र0ना0	0.142	0	28.542	0	0	28.54	
	(ब) बुलई, दोमट, मटियार	प्र0ना0	0.112	0	22.512	0	0	22.51	
4.5	वृत्ताकार खाई खुदान भीतरी व्यास 1.50 मीटर बाहरी व्यास 3.50 मी0 गहराई 0.75 मी0 व (0.60X0.60X0.60) के गड्ढे सहित								
	(अ) बलुई, दोमट मिट्टी में	प्र0ख0	1.229	0	247.029	0	0	247.03	
	(ब) चिकनी, कंकडीली मिट्टी में	प्र0ख0	1.72	0	345.72	0	0	345.72	
4.6	माउण्ड बनाना (ऊपरी व्यास 0.90 मीटर निचला व्यास 2.10 मी0 ऊँचाई 0.60 मी)	प्र0मा0	0.19	0	38.19	0	0	38.19	
4.7	गड्ढा खुदान								
	(अ) ऊसर, चिकनी, कंकडीली मिट्टी								
	(1) 45X45X45 सें0मी0	प्र0गा0	0.04	0	8.04	0	0	8.04	

	...र्य का विवरण	इकाई प्रति	सृजित मानव दिवस एवं डीजल		प्रस्तावित धनराशि			कुल धनराशि	अभ्युक्ति
			मानव दिवस	डीजल (ली0 में)	श्रमिक की धनराशि (रू0 में)	डीजल की धनराशि (ली0 में)	सामग्री की धनराशि (रू0 में)	(रू0 में)	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	(2) 60X60X60 से0मी0	प्र0ग0	0.07	0	14.07	0	0	14.07	इस कार्य हेतु आवश्यकतानुसार क्रोबार व गड्ढे खोदने का आइटम [illegible]-4.7 के अन्तर्गत अर्थ आगर के गड्ढा खुदान की दरें कठोर/कंकरीली (सामान्य भूमि) अर्थ आगर से कार्य कराने हेतु भी अनुमन्य की जाती है।
	(न) खुदाई, दोमट, मटियार				0	0	0	0.00	
	(1) 45X45X45 से0मी0	प्र0ग0	0.026	0	5.226	0	0	5.23	
	(2) 60X60X60 से0मी0	प्र0ग0	0.034	0	6.834	0	0	6.83	
	(स) अरावली पर्वत श्रृंखला के सन्निकट पठारी वन क्षेत्रों में (सख्त पत्थर मोरम में) 1.00X1.00X1.00 मी0	प्र0ग0	0.958	0	192.558	0	0	192.56	
	अर्थआगर से गड्ढा खुदान								
	(अ) अर्थ आगर से 1.20 मीटर ऊपरी व्यास 33 से0मी0 निचला व्यास 22.5 किराए के ट्रेक्टर से समस्त व्यय सहित	प्र0ग0	0.0198	0.1158	3.9798	8.38045	1.1288	13.49	
	(ब) अर्थ आगर से ऊपरी व्यास 45 से0मी0 निचला व्यास 23 से0मी0 गहराई 1.20 मीटर	प्र0ग0	0.0215	0.13	4.3215	9.4081	1.355	15.08	
8	बंधे बनाना	घ0मी0	0.31	0	62.31	0	0	62.31	
	अ–अरावली पर्वत श्रृंखला के सन्निकट पठारी वन क्षेत्रों में मिट्टी, पत्थर, मोरम वाले क्षेत्र में	घ0मी0	0.397	0	79.797	0	0	79.80	
	ब–अरावली पर्वत श्रृंखला के सन्निकट पठारी वन क्षेत्रों में पत्थर वाडी का निर्माण कार्य (500 मी0 से अधिक दूरी से पत्थर ढुलान कार्य) 0.804X0.60 /2X1.00 मी0	प्र0र0मी0	1.246	0	250.446	0	0	250.45	
	स–जे0सी0बी0 द्वारा बंधा निर्माण	प्रति घ0मी0	0.3554	0	7.14	0	46.78	53.92	यह दरें अधिकतम हैं।
.9	गली प्लगिंग	घ0मी0	0.024	0	4.824	0	0	4.82	
.1	ऊसर क्षेत्र में सिंचाई नाली बनाना	प्रति मी0	0.024	0	4.824	0	0	4.82	
.11	बोरिंग कार्य 100 फुट गहराई तक 10 हे0 पर एक								
	ऊसर	प्र0बो0	0	0	0	0	0	33500.00	
	सामान्य	प्र0बो0	0	0	0	0	0	26500.00	
5	गड्ढा भरान								
5.1	खाली मिट्टी								
	(1) 45X45X45 से0मी0	प्र0ग0	0.0052	0	1.0452	0	0	1.05	
	(2) 60X60X60 से0मी0	प्र0ग0	0.0069	0	1.3869	0	0	1.39	

राज्य सेक्टर / ई-मेल (1)

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्या पी- 78 /36-बी-8(कैम्पा)/2021-22, लखनऊः दिनांकः 16 जुलाई, 2021.

सेवा में,

1- मुख्य वन संरक्षक,
मध्य, पश्चिमी, दक्षिणी, पूर्वी, रुहेलखण्ड,
बुन्देलखण्ड जोन, उत्तर प्रदेश।

3- मुख्य वन संरक्षक,
वन्य जीव (पश्चिमी) कानपुर,
एवं वन्यजीव (पूर्वी) गोण्डा।

4- मुख्य वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तर प्रदेश कैम्पा, लखनऊ।

5- मुख्य वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, लखीमपुर खीरी।

6- समस्त मण्डलीय मुख्य वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश।

7- समस्त वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक (वन्यजीव सहित),
उत्तर प्रदेश।

विषयः-वित्तीय वर्ष 2021-22 में "उत्तर प्रदेश प्रतिकारात्मक वन रोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण की वार्षिक प्रचालन योजना" के अन्तर्गत अनुदान संख्या-60 में आय-व्ययक प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।

संदर्भः- शासनादेश संख्या-40/2021-582/81-4-2021, दिनांक 14-07-2021 (छायाप्रति संलग्न).

महोदय,

उपर्युक्त संदर्भित शासकीय पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अपर मुख्यसचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त, वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22.03.2021 में निहित निर्देशों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अनुदान संख्या-60 में "उत्तर प्रदेश प्रतिकारात्मक वन रोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण की वार्षिक प्रचालन योजना" के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में आय-व्ययक प्राविधानित धनराशि रू0 60000.00 लाख के विरूद्ध रू0 13112.74 लाख (रू0 एक अरब इक्तीस करोड़ बारह लाख चौहत्तर हजार मात्र) की स्वीकृति संदर्भित शासकीय पत्र से शासन द्वारा निम्न प्रकार प्रदान कर दी गई हैः-

(रू0 लाख में)

लेखाशीर्षक	वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु आय-व्ययक प्राविधान	स्वीकृति धनराशि
1	2	3
अनुदान संख्या-60-		
राजस्व लेखा-		
2406-वानिकी तथा वन्यजीव-		
04-वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास-		
103-राज्य प्रतिकरात्मक वन रोपण		
03-राज्य प्राधिकरण		
0301-क्षतिपूरक वनीकरण		
42-अन्य व्यय		
0302-जल ग्रहण क्षेत्र शोधन योजना	3926.44	1948.59
42-अन्य व्यय		
0303-समेकित वन्यजीव प्रबन्ध योजना	153.48	0.00
42-अन्य व्यय		
0304-वन भूमि का निबल वर्तमान मूल्य	0.00	0.00

(रू० लाख में)

	वृत्त / मण्डल	प्रभाग का नाम	अनुदान संख्या–60–राजस्व लेखा–2406–वानिकी तथा वन्यजीव–04–वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास–103–राज्य प्रतिकरात्मक रोपण–03–राज्य प्राधिकरण–304–वन भूमि का निबल वर्तमान मूल्य (42 अन्य व्यय)				अनुदान संख्या–60–राजस्व लेखा–2406–वानिकी तथा वन्यजीव–04–वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास–103–राज्य प्रतिकरात्मक रोपण–03–राज्य प्राधिकरण–304–वन भूमि का निबल वर्तमान मूल्य (42 अन्य व्यय)												योग 304–वन भूमि का निबल वर्तमान मूल्य (42 अन्य व्यय)
			Non-CA Maintenance		Non-CA plantation year 2021		ANR related works		SMC For Under forestry Interventions for Yamuna in Uttar Pradesh		Silvicultural operations in forests		Purchase of state of art fire protection/management equipments		Installation of Solar Water Pumps in important nurseries of various division for		
			भौतिक (है0)	वित्तीय	भौतिक (है0)	वित्तीय	भौतिक (है0)	वित्तीय	भौतिक (है0)	वित्तीय	भौतिक (है0)	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	वित्तीय
1	2	3	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
65		सोनभद्र	50.00	3.16	311.00	56.91	395.00	47.40									107.47
66		संत रविदास नगर, भदोही															0.00
	योग मिर्जापुर मण्डल		1711.00	108.30	2386.00	436.64	2715.00	325.04	0.000	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	869.98
67	मुख्य वन संरक्षक, गोरखपुर मण्डल	देवरिया															0.00
68		गोरखपुर	515.00	34.37	600.00	163.80	150.00	18.00									216.17
69		कुशीनगर, (पडरौना)															0.00
	योग गोरखपुर मण्डल		515.00	34.37	600.00	163.80	150.00	18.00	0.000	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.17
70	वन संरक्षक, आगरा वृत्त	आगरा	595.00	38.15	490.00	100.45			127.516	50.98							189.58
71		फिरोजाबाद	347.00	24.00	815.00	227.14			127.952	51.15							302.29
72		मथुरा	401.00	30.72	40.00	14.28											45.00
73		मैनपुरी	358.00	29.30	111.00	56.94											86.24
	योग आगरा वृत्त		1701.00	122.17	1456.00	398.81	0.00	0.00	255.468	102.13		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623.11
74	वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त	अलीगढ़	183.66	14.61													14.61
75		एटा															0.00
76		हाथरस (महामायानगर)	94.00	7.66	25.00	12.83											20.49
77		कासगंज (कांशीरामनगर)	92.00	6.78	85.00	23.21											29.99
	योग अलीगढ़ वृत्त		369.66	29.05	110.00	36.04	0.00	0.00	0.000	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.09
78	मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव पश्चिमी कानपुर	काशी वन्य जीव प्रभाग	761.20	48.68	635.00	116.21	240.00	28.80									193.69
79		कैमूर वन्य जीव प्रभाग	972.00	61.47	417.00	76.31											137.78
80		राष्ट्रीय चम्बल, आगरा							259.268	50.40							50.40

0c9a4023-e13f-4b57-8

Annexure-4

कार्यालय जिलाधिकारी, आगरा।
(खनिज अनुभाग)

दिनांक 10/08/2022

पत्रांक 524 / खनिज सहायक / 2022–23

विषय : मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 सं0–316 / 2022 में पारित आदेश दिनांक 09.05.2022 का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु बैठक का आयोजन के सम्बन्ध में।

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0)
क्षेत्रीय कार्यालय, आगरा।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्रांक–530 / ओजी–679 / 2022, दिनांक 08.08.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें बिन्दु (c) other concerned department of the state Government (District Administration, Mines Department) Details of any other activities outside forest land, as per complainant, such as earth cutting resulting in soil erosion/changing land use pattern.

अवगत कराना है कि जनपद में उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 के प्राविधानों अथवा शासन के निर्देशानुसार वन क्षेत्रों से बाहर खनन संक्रिया की अनुमति जिलाधिकारी महोदय द्वारा नियमानुसार प्रदान की जाती है।

10/8/22

ज्येष्ठ खान अधिकारी,
आगरा।